


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>श्री गोविन्द राजपुरोहित पुत्र मोहनलाल राजपुरोहित निवासी मकान संख्या 18, द्वितीय बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर (राज.)</p> <p>बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर</p> <p>प्रथम सूचना अपील संख्या :- 8/2024</p> <p>जीसीएमएस नं. :- 2024/10</p> <p>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>28.02.24</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । अपीलाण्ट अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 11.09.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है । लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर ने जरिये पत्र दिनांक 07.02.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि हमने अपीलार्थी को जरिये सूचना पत्र अवगत करवा दिया है कि आप इस कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित रेकॉर्ड की सूची प्रतिलिपि शुल्क अदा कर के प्राप्त कर ले। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। <p style="text-align: center;">  (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	